न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—257/2018/223 (2018/00257)

1. श्रीमती लादी पुत्री श्रीलाल उर्फ हरलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम गुजरवाड़ा, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. चमेली पत्नी गजानन्द,
2. जगदीश पुत्र गजानंद,
3. श्रीमती सन्तु पत्नी शैतान,
4. सौदान पुत्र गजानंद,
5. गजानंद पुत्र कल्याण (नाम तर्क)
6. सावरा पुत्र देवीलाल,
7. सज्जना पुत्र देवीलाल,
8. शंकर पुत्र गंगाराम,
9. हरिराम पुत्र गंगाराम,
10. सायर पुत्री गंगाराम, (नाम तर्क)
11. छोटी पुत्री गंगाराम
12. गणेशी पुत्री गंगाराम,
13. धन्नी पत्नी गंगाराम,
14. गलोल पत्नी गंगाराम,
    समस्त जाति जाट, नि0 गुजरवाड़ा, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
15. राज0 सरकार जरिये उप पंजीयक, सरवाड़ ।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्ण विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़, दिनांक 25.6.2018 अंतर्गत वाद संख्या 49/2017 .

उपस्थितः—

1. श्री शिवराज गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6 एवं 8.
3. रेस्पो0 संख्या 7, 9 से 15 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 15 व 16.

निर्णय

दिनांकः— 15.1.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय दिनांक 25.6. 2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादी अपीलांट ने एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 89, 209, 92—ए0 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गुजरवाडा की जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 की खाता संख्या नया—पुराना 11—11 खाता संख्या 12—11, खाता संख्या 13—11, खाता संख्या 10—10, खाता संख्या 14—12, खाता संख्या 157—74 में दर्ज आराजी कल्याण जाट की थी । अपीलांट उसकी पौत्री है किन्तु राजस्व अधिकारियों ने नामांतकरण में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया । अपीलांट के पिता हरलाल था तथा हरलाल की मृत्यु के उपरांत राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम विरासत के अनुसार दर्ज करना चाहिये था लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने प्रवितादीगण से मिलीभगत कर उक्त आराजियात में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज कर दिया तथा उक्त गलत इंद्राज हो जाने से प्रवितादीगण अपीलांट को उसकी पुश्तैनी आराजियात से बेदखल करना चाहते है । इसलिये यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है । अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण की तलबी होने पर दिनांक 12.10.2017 को प्रतिवादीगण की तलबी के उपरांत न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई तद्उपरांत दिनांक 14.3.2018 को प्रतिवादीगण की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त करवाने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व उक्त प्रार्थना पत्र के साथ धारा 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 25.6.2018 को पत्रावली लोक अदालत में ग्राम मनोहरपुरा में पेश हुई । उक्त दिनांक को वादिया का वाद अंतर्गत धारा 11 जा0दी0 के प्रावधानों को मानते हुए खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादिया द्वारा जो वाद पेश किया गया था वह वास्ते घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा का वाद था । उक्त वाद न्यायालय के समक्ष प्रारंभिक स्तर पर ही था । उक्त वाद में प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही के प्रार्थना पत्र पर जवाब आकर सुनवाई होनी थी तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का आदेश पारित किये बिना ही वादिया का वाद खारिज कर दिया जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने कैम्प लोक अदालत ग्राम मनोहरपुरा दिनांक 25.6.2018 को पत्रावली पर वास्ते सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 6.8.2018 नियत की थी इसके पश्चात् भी अधी0न्याया0 ने अपीलांट को सुने बिना ही निर्णय पारित कर दिया इसलिये भी उक्त आक्षेपित आदेश निरसत किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि वाद वर्णित जायदाद वादिया के दादा कल्याण के नाम दर्ज थी तथा उनकी मृत्यु के उपरांत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2044 से 2047 में वादिया के पिता के नाम बतौर खातेदारी दर्ज थी । वादिया के पिता की मृत्यु के उपरांत एकमात्र

विधिक वारिस अपीलांट/वादीया थी लेकिन रेस्पो0/प्रतिवादीगण ने उक्त आराजियात को अपने नाम गलत रूप से इंद्राज करवा लिया । उक्त समस्त तथ्य अधी0न्याया0 के समक्ष बतौर साक्ष्य प्रमाणित होने थे लेकिन उक्त वाद में बिना सुरवाई किये ही अधी0न्याया0 ने वाद का अंतिम निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर करने में त्रुटि कारित की है । अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 11 जा0दी0 पर न तो किसी प्रकार का जवाब दिया गया ओर न ही उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलांट को सुना गया मात्र प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को प्रमाणित मानते हुए वादिया का वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलांट ने पूर्व में वाद संख्या 184/1997 अधी0न्याया0 के समक्ष पेश किया था जो दिनांक 21.8.1997 को राजीनामा के आधार पर अंतिम रूप से निर्णित किया गया था इसके बावजूद अपीलांट द्वारा अब पुनः नया वाद उन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नहीं होने से अधी0न्याया0 ने रेस–ज्यूडिकेटा के सिद्धांत के आधार पर खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादिया/अपीलांट द्वारा वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 89, 209, 92–ए0 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश किया गया था । उक्त वाद प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण की तलबी होने पर दिनांक 12.10.2017 को प्रतिवादीगण की तलबी के उपरांत न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई तद्उपरांत दिनांक 14.3.2018 को प्रतिवादीगण की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त करवाने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व उक्त प्रार्थना पत्र के साथ धारा 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 25.6.2018 को पत्रावली लोक अदालत में ग्राम मनोहरपुरा में पेश हुई । उक्त दिनांक को वादिया का वाद अंतर्गत धारा 11 जा0दी0 के प्रावधानों को मानते हुए खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 25.6.2018 को सील लगाकर वाद में आगामी पेशी दिनांक 6.8.2018 नियत की गई थी किन्तु इसके पश्चात् पुनश्य लिखकर अधी0न्याया0 ने वादिया/अपीलांट का वाद रेसज्यूटिकेटा के आधार पर खारिज करने का आदेश पारित किया है । अपीलांट को दौराने बहस यह कथन रहा है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट को प्रार्थना पत्र 11 जा0दी0 का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त प्रार्थना पत्र का वादिया/अपीलांट द्वारा जवाब पेश किया गया हो । अधी0न्याया0 को चाहिये था कि उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलांट/वादिया से जवाब प्राप्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र को निर्णित करते किन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांट को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्रार्थना पत्र को निर्णित कर वाद को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.6.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को जवाब, साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 15.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर